न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2501–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–5–2013, पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा प्रकरण क्रमांक 126/10–11/अपील

.....

श्रीमती बैकुण्ठी बाई पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
निवासी ग्राम धमनका, परगना व जिला ग्वालियर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 जय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री लखपति राम शर्मा
3 राम कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
4 वीरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री लखपत राम शर्मा
5 अवधेश शर्मा पुत्र श्री वीरेन्द्र प्रसाद शर्मा
6 बनवारी पुत्र श्री लखपति राम शर्मा
समस्त निवासीगण ग्राम धमनका, तहसील डबरा
जिला ग्वालियर म0 प्र0
7 लक्ष्मण प्रसाद पुत्र श्री सरमन लाल शर्मा
ग्राम धमनका, तहसील व जिला ग्वालियर म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 4 से 7

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 23 अप्रैल, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2013, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ **प्रकरण के तथ्य संक्षेप** में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार वृत्त बिलौआ तहसील **डबरा** द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2010 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 126/2010–11/अपील दर्ज की जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका की ओर से दिनांक 7–3–2013 को संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति की गई कि अनावेदक द्वारा मृत शंभूदयाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के विधिक वारिसों की गलत जानकारी देकर गलत वारिसों को पक्षकार बनाया गया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जब वर्ग–1 के वारिस जीवित हो तो सर्व प्रथम उन्हैं पक्षकार बनाया जाना चाहिये । वर्ग–1 के वारिस नहीं होने पर वर्ग–2 की अनुसूची के प्रथम भाग के वारिसों को पक्षकार बनाया जाना चाहिये और प्रथम भाग के वारिस न हो तब द्वितीय भाग के वारिसों को पक्षकार बनाया जाना चाहिये, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्ग–1 एवं वर्ग–2 के प्रथम एवं द्वितीय भाग के सभी वारिसों को पक्षकार बनाया गया है । अतः अपील में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष होने के कारण अपील निरस्त की जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–5–2013 को आदेश पारित कर आवेदिका की आपत्ति निरस्त की जाकर प्रकरण गुणदोष पर तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 4 लगायत 7 के अभिभाषक द्वारा 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से सूचना उपरान्त भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किसी निर्वसियती हिन्दू की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति निम्नानुसार न्यायगत होगी :–

(क) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग–1 में विनिर्दिष्ट है ।

(ख) द्वितीयतः यदि वर्ग–1 के वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग–2 में लिखे है ।

(ग) तृतीयतः वर्ग–1 व वर्ग–2 में से कोई वारिस न हो तो मृतक के गौत्रजों को।

(घ) अंततः कभी कोई गौत्रज न हो तो मृतक के बंधुओं को ।

आवेदिका मृतक की वर्ग–1 की वारिस है, जबकि अनावेदक क्रमांक 2 मृतक शंभूदयाल के पिता होकर वर्ग–2 के वारिस है । जब वर्ग–1 की वारिस उपलब्ध हो तो उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप वर्ग–2 के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्ग–2 के वारिसों को भी पक्षकार बनाने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष विधि विरूद्ध है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करते समय आवेदिका की ओर से पक्षकारों के कुसंयोजन संबंधी तथ्य नहीं उठाये गये है, क्योंकि जहां कानून स्पष्ट हो वहा पक्षकारो की सहमति एवं असहमति का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी का यह कर्तव्य था कि जब उन्हैं विधिक स्थिति स्पष्ट बताई गई थी तब विधिक स्थिति पर विचार कर निष्कर्ष निकालना था, परन्तु उनके द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

6/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक 5–9–2012 को उभय पक्ष के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित किया गया है और दिनांक 12–9–2012 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये मृतक शंभूदयाल के वारिसों को पक्षकार बनाया गया है । आवेदिका का यह दायित्व था कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तर्क के दौरान वह स्थिति स्पष्ट करते कि उक्त आवेदन पत्र में पक्षकारों की गलत जानकारी दी गई है और केवल वही विधिक वारिसान है अन्य नहीं, परन्तु इस प्रकार की कोई आपत्ति आवेदिका की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 12–9–2012 को आदेश पारित करने के उपरान्त उक्त आशय

की आपत्ति प्रस्तुत किया जाना न तो वैधानिक दृष्टि से उचित है और न ही न्यायिक दृष्टि से । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि यदि आवेदिका अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12–9–2012 से परिवेदित है तो उसे सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना चाहिये । चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने का प्रावधान है । अतः प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष नहीं रह जाता है और इस आधार पर अपील निरस्त किया जाना विधिसंगत नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गलत व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया हो तो आवेदिका उनका नाम विलोपित करने हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2013, स्थिर रखा जाता हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर